

३३८४ | मा० ११९  
३१/८/१८

उत्तर प्रदेश शासन  
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-३  
संख्या: १७३०/८-३-१८-१७० विविध/१७ टी०सी०  
लखनऊ : दिनांक : ३० अगस्त, २०१८

### कार्यालय-ज्ञाप

उ.प्र. के नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत समस्त महायोजनाओं के जोनल प्लान्स को निजी कन्सलटेन्ट्स के माध्यम से तैयार कराये जाने के लिए शासनादेश संख्या-1034 / ८-३-१८-१७० विविध/१७, टी.सी., दिनांक 04.07.2018 द्वारा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक की अध्यक्षता में गठित "कन्सलटेन्ट्स चयन एवं अनुश्रवण समिति" (CSRC) को सम्यक विचारोपरान्त एतद्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :—

1	आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, उ.प्र.	अध्यक्ष
2	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र.	सदस्य
3	मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण	सदस्य
4	मुख्य नगर नियोजक, आगरा विकास प्राधिकरण	सदस्य
5	वित्त नियंत्रक, मुख्यालय, लखनऊ विकास प्राधिकरण	सदस्य
6	सलाहकार (नियोजन) आवास बन्धु	सदस्य
7	किसी ख्याति प्राप्त इन्स्टीट्यूट के नगर नियोजन में अनुभवी प्रोफेसर।	सदस्य
8	अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु	सदस्य सचिव

नितिन रमेश गोकर्ण  
प्रमुख सचिव।

### संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- (i) आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, उ०प्र०।
- (ii) उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।
- (iii) अध्यक्ष, समस्त, विशेष विकास प्राधिकरण (साडा)।
- (iv) अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र०।
- (v) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- (vi) निदेशक, आवास बन्धु को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की शासनादेश की प्रति विभाग की शासकीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करने का कष्ट करें।
- (vii) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

  
(संजय कुमार सिंह)  
अनु सचिव।